गोपालराम बनाम राजस्थान सरकार वगै.
मुकदमा नम्बर 193/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (नागौर)

मुकदमा नम्बर :– 193/2022

प्रार्थी :–

गोपालराम दत्तक पुत्र लालाराम जाति जाट उम्र 46 वर्ष निवासी चौसला तहसील नावां।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार नावां।
2. पटवारी पटवार हल्का चौसला तहसील नावां।

प्रार्थना पत्र बाबत :– दुरूस्ती करने
अन्तर्गत धारा 131,132,136 आर.एल.आर. एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री अंशुल सिंह आर.ए.एस.

उपस्थित :– श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :–14.12.2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि मौजा ग्राम चौसला पटवार हल्का चौसला तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 362 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 197 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 363 रकबा 2.444 हैक्टर कुल रकबा 2.984 हैक्टर भूमि प्रार्थी एवं अन्य सहहिस्सेदार की स्थित रही है। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 362, 197, 363 कुल रकबा 2.984 हैक्टर भूमि का मौके पर भौतिक बंटवारा अनुसार प्रार्थी एवं उक्त भूमि के अन्य सहखातेदारान ने आपसी सहमति से भू–विभाजन करवाने हेतु राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत आवेदन (बंटवारा प्रस्ताव) उपस्थित होकर तहसीलदार नावां के समक्ष प्रस्तुत किया जिसकी पटवारी हल्का व भू.अ. निरीक्षक लूणवां द्वारा बाद जांच खसरा नम्बर 362, 197, 363 की भूमि के सहमति अनुसार प्रार्थी गोपालराम व प्रार्थी की माता तीजादेवी के हिस्से की भूमि के नवीन खसरा नम्बर 858/197 रकबा 0.125 हैक्टर, खसरा नम्बर 862/363 रकबा 0.61 हैक्टर कुल रकबा 0.735 हैक्टर भूमि व मोहरीदेवी, मुलाराम, बालुराम, कज्जीदेवी, रामचन्द्र, आंचीदेवी, मन्जुदेवी, नरेश, सन्जु के हिस्से की भूमि के खसरान 197 रकबा 0.125 हैक्टर, खसरा न[illegible] कुल रकबा 0.735 हैक्टर भूमि व श्रवणराम के हिस्से की भूमि के खसरा नम्बर 8[illegible] रकबा 0.125 हैक्टर व खसरा नम्बर 860/363 रकबा 0.61 हैक्टर कुल [illegible]राम के हिस्से की भूमि के खसरा नम्बर 857/197 रकबा 0.12[illegible] 861/363 रकबा [illegible] हैक्टर कुल रकबा 0.734 हैक्टर भूमि प्रदान करते हुए व खसरा [illegible]बर 362 रकबा 0.04 [illegible] गै.मु. कुआ, खसरा नम्बर 859/363 रकबा 0.005 हैक्टर रास्ते हेतु कुल रकबा 0.045 हैक्टर भूमि प्रार्थी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 13:22:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

सभी खातेदारान की खातेदारी अनुसार शामलाती रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव में अंकित कर नक्शे में उक्त उपरोक्त अनुसार खसरा नम्बर दर्शित करते हुए मय नजरी नक्शा तहसीलदार नावां के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रार्थी एवं उक्त भूमि के अन्य सभी सहखातेदारान का भू–विभाजन का आवेदन तहसीलदार नावां द्वारा दिनांक 28.07.14 को स्वीकार कर माफिक बंटवारा प्रस्ताव पालना किये जाने हेतु दिनांक 28.07.14 को पटवारी हल्का चौसला को आदेश दिया गया। अप्रार्थी संख्या 2 पटवारी पटवार हल्का चौसला द्वारा ग्राम चौसला में स्थित उक्त भूमि खसरा नम्बर 362, 197, 363 कुल रकबा 2.984 हैक्टर भूमि का तहसीलदार भू.अ. नावां के बंटवारा आदेश की पालना में माफिक बंटवारा आदेश राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 362, 859/363 कुल रकबा 0.045 हैक्टर भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व अन्य सहहिस्सेदारान की खातेदारी अनुसार दर्ज कर दी परन्तु बंटवारा आदेश में वर्णित नजरी नक्शा अनुसार पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के राजस्व नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 859/363 रास्ता व खसरा नम्बर 362 गै.मु. कुआं तरमीम नहीं किया गया एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में रास्ते के खसरा नम्बर 859/363 का प्रार्थी गोपालराम के हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 862/363 की भूमि में अंकित कर दिये एवं खसरा नम्बर 362 गै.मु. कुआ को भी माफिक बंटवारा प्रस्ताव आदेश तरमीम नहीं करते हुए खसरा नम्बर 861/363 की भूमि में तरमीम कर दिया जबकि बंटवारा आदेश में वर्णित नजरी नक्शे में गै.मु. कुआ, खसरा नम्बर 362 व खसरा नम्बर 859/363 रास्ता स्पष्ट रूप से दर्शित किया गया है। परन्तु माफिक बंटवारा आदेश कुआं व रास्ते के खसरा नम्बर राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं होने से उक्त भूमि के सहखातेदार प्रार्थी की भूमि में दखलबाजी कर रहे है जिससे प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है। इसलिए तहसीलदार नावां के बंटवारा आदेश में वर्णित नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 859/363 रकबा 0.005 हैक्टर रास्ता भूमि व खसरा नम्बर 362 रकबा 0.04 हैक्टर गै.मु. कुआ राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाना न्यायोचित है। राजस्व ग्राम चौसला पटवार हल्का चौसला तहसील नावां की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 362 रकबा 0.04 हैक्टर गै.मु. कुआ व खसरा नम्बर 859/363 रकबा 0.005 हैक्टर रास्ता भूमि की वर्तमान स्थिति को राजस्व नक्शा ट्रेस में दुरूस्त करते हुए तहसीलदार भू–अभिलेख नावां के बंटवारा प्रस्ताव आदेश क्रमांक/भू.अ./रा.शि./2014/1240 दिनांक 28.07.2014 में वर्णित नजरी नक्शा अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने हेतु अप्रार्थीगण को आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया ग्राम चौसला के खसरा नम्बर 362 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 197 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 363 रकबा 2.444 हैक्टर कुल रकबा 2.984 हैक्टर भूमि प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारी में दर्ज रही। खसरा नम्बर 362, 197, 363 की भूमि का विभाजन बंटवारा प्रस्ताव अनुसार नवीन खसरा नम्बर 858/197, 856/197, 862/363, 859/363, 860/363, 861/363, 362, 197 बने एवं प्रार्थी व अन्य सभी खातेदारों की खातेदारी में दर्ज हुए। मूल खसरा नम्बर 363 के विभाजन से प्रार्थी गोपालराम दत्तकपुत्र लालाराम जाति जाट के नाम नवीन खसरा नम्बर 862/363 रकबा 0.61 हैक्टर तथा इसमें स्थित खसरा नम्बर 362 गै.मु. कुआं रकबा 0.04 हैक्टर तक पहुंचने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 859/363 रकबा 0.0050 शामलाती भूमि की तरमीम की हुई। खसरा नम्बर 363 के नवीन खसरा नम्बर 862/363 रकबा 0.61 हैक्टर को दो भागों में विभाजित किया जाना था चूंकि शामलाती रास्ता बीच में विभाजन करता है। सेग्रीगेशन में खसरा नम्बर 859/363 रकबा 0.0050 हैक्टर को

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 13:22:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

त्रुटिवंश रास्ते के रूप में नहीं दर्शिया गया। अतः खसरा नम्बर 862/363 रकबा 0.61 हैक्टर के दो अलग खसरा नम्बर रकबा 0.11 एवं 0.50 हैक्टर किया जाना उचित है। प्रार्थी की इस्तदुआ रिकॉर्ड अनुसार राजस्व नक्शे में शुद्ध किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार मौजा ग्राम चौसला पटवार हल्का चौसला तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 362 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 197 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 363 रकबा 2.444 हैक्टर कुल रकबा 2.984 हैक्टर भूमि प्रार्थी एवं अन्य सहहिस्सेदार की स्थित रही है। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 362, 197, 363 कुल रकबा 2.984 हैक्टर भूमि का मौके पर भौतिक बंटवारा अनुसार प्रार्थी एवं उक्त भूमि के अन्य सहखातेदारान ने आपसी सहमति से भू–विभाजन का आवेदन (बंटवारा प्रस्ताव) उपस्थित होकर तहसीलदार नावां के समक्ष प्रस्तुत किया। तत्पश्चात तहसीलदार नावां ने उक्त खसरा आराजीयात भूमि का मुताबिक प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार भू–विभाजन किया गया। खसरा नम्बर 362, 197, 363 की भूमि का विभाजन बंटवारा प्रस्ताव अनुसार करने पर उनके नवीन खसरा नम्बर 858/197, 856/197, 862/363, 859/363, 860/363, 861/363, 362, 197 कायम हुए। मूल खसरा नम्बर 363 के विभाजन से प्रार्थी गोपालराम दत्तकपुत्र लालाराम जाति जाट के नाम नवीन खसरा नम्बर 862/363 रकबा 0.61 हैक्टर तथा इसमें स्थित खसरा नम्बर 362 गै.मु. कुआं रकबा 0.04 हैक्टर तक पहुंचने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 859/363 रकबा 0.0050 शामलाती भूमि की तरमीम की गई। चूंकि प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खसरा नम्बर 363 के नवीन खसरा नम्बर 862/363 रकबा 0.61 हैक्टर को दो भागों में विभाजित किया जाना था जिसमें शामलाती रास्ता बीच में विभाजन करता है परन्तु सेग्रीगेशन में खसरा नम्बर 859/363 रकबा 0.0050 हैक्टर को त्रुटिवश रास्ते के रूप में नहीं दर्शाया गया। इसलिए खसरा नम्बर 862/363 रकबा 0.61 हैक्टर को दो अलग खसरा नम्बर में विभाजित करके उनके रकबा 0.11 एवं 0.50 हैक्टर किया जाना उचित है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम चौसला पटवार हल्का चौसला तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 362, 197, 363 कुल रकबा 2.984 हैक्टर भूमि में प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार नवीन खसरा नम्बर 859/363 रकबा 0.0050 हैक्टर को रास्ता एवं नवीन खसरा नम्बर 862/363 रकबा 0.61 हैक्टर को दो अलग खसरा नम्बर में विभाजित करते हुए उनके रकबा 0.11 एवं 0.50 हैक्टर राजस्व नक्शा ट्रेस में दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार तहसीलदार नावां को नक्शा ट्रेस में तरमीम करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार नावां को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 14.12.2022 को सरे न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.07.05 13:22:28 IST
Reason: SelfAttested

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
नावां (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)